का॰ ज्ञा॰ सं 0I/14013/7/94-रा.भा. (क-1) दिनांक 18.5.1994

विषय:— ''क'' क्षेत्र से केन्द्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अधिकारियों द्वारा हिन्दी में कार्य किया जाना।

प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 24 जुलाई, 1993 को हुई केन्द्रीय हिन्दी समिति की 23वीं बैठक में इस विषय पर चर्चा हुई थी कि अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं तथ अन्य सेवाओं के वे अधिकारी जो ''क'' क्षेत्र के राज्यों के सेवा संवर्गों के हैं या अन्यथा उन राज्यों में कार्य कर चुके हैं, जब केन्द्र सरकार में प्रतिनियुक्ति/नियुक्ति पर आएं तो वे हिन्दी में कार्य करें।

2. इस विषय पर यह निर्णय लिया गया था कि जो अधिकारी हिन्दी में काम करना चाहें, उन्हें हिन्दी में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उक्त बैठक का कार्यवृत्त सभी मंत्रालयों/विभागों को इस विभाग के दिनांक 20 दिसम्बर, 1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/20017/10/93-रा॰भा॰ (क-1) द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया था।

3. राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर आदेश जारी करके मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया जाता रहा है कि वे अपने यहां अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी में अधिक से अधिक कार्य करने में सुविधा प्रदान करने के लिए अपने यहां हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन करे तथा प्रोत्साहन योजनाएं लागू करें। सभी मंत्रालयों/विभागों से पुनः अनुरोध किया जाता है कि इस दिशा में प्रभावकारी कदम उठायें और उपरिलिखित श्रेणी के अधिकारियों द्वारा हिन्दी में काम कराने के लिए विशेष रूप से ध्यान दें।